सूचना प्रौद्योगिकी विकास एजेन्सी
(आई0टी0डी0ए0)
(सूचना प्रौद्योगिकी विभाग, उत्तराखण्ड शासन)
सिडकुल बिल्डिंग, (प्रथम तल), 29, आई0आई0ई0
(आई0टी0 पार्क), सहस्रधारा रोड, देहरादून – 248001

निदेशक

Ph: 0135-2708122
Fax: 0135-2708174

ITDA

Ref: 393/ITDA-372/2015

दिनांक: 26/9/2015

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी
उत्तराखण्ड

विषयः– सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से G2C सेवाएं प्रदान करने सम्बन्धी।

महोदय,

अवगत कराना है कि सामान्य सेवा केन्द्र (CSC) राष्ट्रीय ई–शासन योजना (National e-Governance Plan) का एक मुख्य अवयव है, जिसका उद्वेश्य नागरिकों को शासकीय (G2C) तथा गैर शासकीय (B2C) सेवायें उनके निवास के समीप प्रदान करना है।

इस योजना के अन्तर्गत प्रदेश में जनमानस को शासकीय (G2C) तथा गैर शासकीय सेवायें (B2C) उपलब्ध कराये जाने हेतु औसतन 6 गांवो (प्रस्तावित है कि भविष्य में हर ग्राम–पंचायत में एक) के मध्य एक सामान्य सेवा केन्द्र स्थापित करने के उददेश्य से 2804 सामान्य सेवा केन्द्रों की स्थापना करने की कार्यवाही गतिमान है। इन केन्द्रों को प्रदेश में ''देवभूमि जन सेवा केन्द्र'' का नाम दिया गया है। पूर्व में ये केन्द्र पब्लिक प्राईवेट पार्टनरशिप (PPP) मॉडल पर तैयार किये गये थे। राज्य में चयनित सर्विस सेन्टर ऐजेन्सी द्वारा ग्रामीण स्तरीय उद्यमियों (Village Level Enterprenuer-VLE) का चयन कर उनके द्वारा यह केन्द्र स्थापित किया जाता है। इस योजना से ग्रामीण अंचल के जनमानस को विभिन्न व्यवसायिक सेवायें एवं शासकीय सेवायें उनके निवास के समीप एवं ग्रामीण उद्यमियों को स्वरोजगार के अवसर प्रदान किये जाने का उददेश्य है।

इस योजना के सफल क्रियान्वयन हेतु केन्द्र सरकार से अधिकृत राष्ट्रीय स्तरीय सेवा एजेन्सी (CSC-SPV) राज्य सरकार के साथ समन्वय कर प्रदेश के सभी जिलों में VLEs का पंजीकरण करती है। आई0टी0डी0ए0 द्वारा पंजीकृत VLEs का प्रमाणीकरण होने के पश्चात CSC-SPV द्वारा प्रशिक्षण आयोजित किया जाता है ताकि शासकीय सेवायें प्रदान किये जाने हेतु VLEs द्वारा ई–डिस्ट्रिक्ट सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जा सके।

अभी तक सामान्य सेवा केन्द्रों के माध्यम से B2C सेवाएं प्रदान की जा रही थी एवं अब कुछ G2C सेवाएं (ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाएं) प्रदान किये जाने का कार्य गतिमान है।

इस सन्दर्भ में उत्तराखण्ड सरकार का शासनादेश संख्या 139/XXXIV/2015/15/2008 दिनांक 21–03–2015 आपके सन्दर्भ हेतु संलग्न है एवं अन्य सन्दर्भित शासनादेश उत्तराखण्ड की वेबसाइट http://www.go.uk.gov.in पर उपलब्ध हैं।

उत्तराखण्ड में जनपदवार देवभूमि जन सेवा केन्द्रों का विवरण निम्नानुसार है:–

CSC Status for eDistrict in Uttarakhand

SR.NO.	DISTRICT NAME	Total CSCs (Rolled Out)	REGISTERED CSCs e-DISTRICT	APPROVED CSCs e-DISTRICT
1	Almora	184	51	44
2	Bageshwar	78	20	20
3	Chamoli	58	12	10
4	Champawat	91	22	22
5	Dehradun	266	83	74
6	Haridwar	273	50	46
7	Nainital	278	67	58
8	Pauri Garhwal	250	49	42
9	Pithoragarh	158	31	30
10	Rudraprayag	77	31	31
11	Tehri Garhwal	139	51	47
12	UdhamSingh Nagar	296	68	62
13	Uttarkashi	71	17	17
Total		2219	552	503

अवगत कराना है कि जनपदों में स्थापित कुछ सामान्य सेवा केन्द्रों (CSC) से प्राप्त feedback से ज्ञात हुआ है कि वहां पर ई–डिस्ट्रिक्ट सेवाओं हेतु प्राप्त आवेदन के सापेक्ष प्रमाण पत्र निस्तारण की प्रक्रिया सम्बन्धित विभागों में लम्बित है, जिससे नागरिकों को असुविधा हो रही है। ज्ञातव्य है कि देवभूमि जनसेवा केन्द्र द्वारा दी जाने वाली सेवाओं में से अधिकतम, सेवा के अधिकार अधिनियम से आच्छादित हैं। अतः, इस विषय में सम्बन्धित को उपयुक्त कार्यवाही करने हेतु निर्देशित करने का कष्ट करें ताकि सेवा के अधिकार अधिनियम द्वारा निर्धारित समय सीमा में प्रमाण–पत्रों का निस्तारण किया जा सके।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ।

1) आयुक्त, गढ़वाल/कुमांऊ, उत्तराखण्ड।
2) सचिव, सूचना प्रौद्योगिकी, उत्तराखण्ड शासन।

(अरूणेन्द्र सिंह चौहान)